कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 528 /फिटनेस/स्कूल बस/2016 दिनांकः 07-5-2016

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

समस्त परिषदीय स्कूल नोएडा व ग्रेटर नोएडा

विषय :— स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोंण से बसों की फिटनेस के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, स्कूल बसों में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा दृष्टिकोण से बसों की फिटनेस आदि समय से कराया जाना अनिवार्य है। चूँकि वर्ष 2016—17 का नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो चुका है। अतः निर्धारित मानकों के आधार पर स्कूल से सम्बन्धित बसों की जांच कराने के उपरान्त ही उससे स्कूली बसों का परिगमन कराना उचित होगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत निम्न शर्तों/दिशा निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नवत हैं :—

सामान्य शर्तें :—

1. वाहन का शैक्षणिक संस्था का नाम पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. निजी ऑपरेटर भी अपनी वाहन को स्कूल मानक के अनुरूप बनवाकर पंजीकरण ~~कराने के उपरान्त स्कूल बस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।~~
3. स्कूलों में संचालन हेतु कमांक 1 पर अंकित बसों का प्राइवेट सेवा यान तथा कमांक 2 पर अंकित बसों को ठेका गाड़ी परमिट लेना आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्कूल बस के आगे व पीछे मोटे अक्षरों में **''स्कूल बस''** लिखा होना चाहिए।
5. स्कूल में अनुबन्धित बसों पर आगे व पीछे बड़े अक्षरों में **''आन स्कूल ड्यूटी''** लिखा होना चाहिए।
6. कोई भी स्कूल बस किरायें फुटकर सवारी नहीं ढोएगा।
7. प्रत्येक स्कूल बस पर स्कूल का नाम तथा टेलीफोन नं0 लिखा होना चाहिए।
8. स्कूल बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष होगी।
9. प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों की सूची,नाम व पता, कक्षा, ब्लड ग्रु तथा रूट चार्ट उपलब्ध रहेगा।
10. प्रत्येक स्कूल बस में चालक के अलावा यथास्थिति अनुभवी पुरूष अथवा महिला सहायक तैनात रहेंगें, जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगें।
11. स्कूल बस के चालक तथा सहायक को डयूटी के समय निर्धारित ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा।
12. स्कूल बस का रंग गोल्डन,येलो विथ ब्राउन/ ब्लू लायनिंग होना चाहिए।

सुरक्षा से सम्बन्धित मानक :—

1. सीटिंग क्षमता के अनुसार प्रत्येक बस में अग्निशमन यन्त्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगें। यथा–12 सीट तक की बस में 02 कि0ग्रा0 वजन का 01 अग्निशमन यन्त्र ड्राईवर केविन में, 12–20 सीट तक की बस में 05 कि0ग्रा0 वजन का 01 अग्निशमन यन्त्र ड्राईवर केविन में तथा 20 से ऊपर की बस में 05 कि0ग्रा0 वजन के 02 अग्निशमन यन्त्र 01 ड्राईवर केविन में तथा 01 आपातकालीन गेट के पास उपलब्ध रहेगा।
2. प्रत्येक स्कूल बस में फर्स्ट–एड बॉक्स रखना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा 40कि0मी0प्रति घण्टा होगी, जिसके निर्धारण हेतु स्पीड कन्ट्रोल यन्त्र/स्पीड गर्वनर लगवाना अनिवार्य होगा जो अलार्मयुक्त होगा।
4. स्कूल बस की बॉडी स्टील की होगी तथा वह पूर्ण रूप बन्द/क्लोज्ड होगी।
5. प्रत्येक बस में गेट/दरवाजा इस प्रकार से फिट होगा, जिसे ढंग से बन्द किया जा सके।
6. कैनवास का हुड/छत किसी भी दशा में स्कूल बस में नहीं लगाया जायेगा।
7. आपातकाल परिस्थिति में बस का चालक अथवा सहायक स्कूल अथोरिटी का सूचित करेगा।
8. सीएनजी स्कूल वाहनों अनिवार्य त्रैमासिक चैकिंग अधिकृत केन्द्र से कराया जायेगा।
9. प्रेशर हॉर्न अथवा टोनल साऊण्ड सिस्टम प्रतिबन्धित होगा।
10. मा0उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका (सी) सं0–13029/1985 में दिनांक 16.12.1997 को पारित निर्णयानुसार

    (अ) कोई भी स्कूल बस पंजीकृत सीटिंग क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक बच्चों को बस में नहीं बैठायेगा।

    (ब) स्कूल बस चालक ड्राईविंग व्यवसायिक होगा जो कम से कम 05 साल पुराना तथा उस पर स्कूल बस चलाने का बेज अंकित हो।

    (स) इन चालकों के लाईसेन्स नवीनीकरण के समय चालक के पुराने अपराधों के इतिहास को भी देखा जाय तथा गहनतापूर्वक टेस्ट लेकर ही नवीनीकर किया जायेगा।

आपसे पुनः निवेदन है कि स्कूल बसों में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यह भी बताना उचित होगा कि माह के अन्तिम सप्ताह में उक्त के परिप्रेक्ष्य में जांच करने हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक विशेष संघन अभियान चलाया जायेगा तथा वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर स्कूल बस का परमिट तत्काल प्रभाव से निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(एन.पी.सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।